बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना–800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० % 2231562, वेबसाईट : https://bsea.bihar.gov.in, ई-मेल : bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि० प्रा०/ 04–01–02/2025 428 /पटना, दिनांक: 17.2.2026

प्रेषक,

कयूम अंसारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
उप विकास आयुक्त –सह– नोडल पदाधिकारी (स०स०),
सारण।

प्रखंड विकास पदाधिकारी –सह– निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
एकमा, सारण।

विषय : **सहयोग विकास एवं ईख क्रय–विक्रय संघ लि0 की प्रबंधकारिणी कमिटी के निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु मतदाता सूची का प्रकाशन के संबंध में।**

प्रसंग : प्राधिकार का पत्रांक 367 दिनांक 11.02.2026.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि प्राधिकार के पत्रांक 367 दिनांक 11.02.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कुल 01 सहयोग विकास एवं ईख क्रय–विक्रय संघ लि0 के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उक्त पत्र के अनुलग्नक–1 में अंकित 01 सहयोग विकास एवं ईख क्रय–विक्रय संघ लि0 के अतिरिक्त 01 सहयोग विकास एवं ईख क्रय–विक्रय संघ लि0 का नाम अनुपूरक सूची के रूप में लगातार शामिल किया जाता है।

2. उक्त 01 सहयोग विकास एवं ईख क्रय–विक्रय संघ लि0 का मतदाता सूची प्रकाशन का कार्यक्रम प्राधिकार के पत्रांक 367 दिनांक 11.02.2026 के अनुरूप रहेगा। प्रासंगिक पत्र की शेष बातें यथावत रहेंगी।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन
17.2.26

(कयूम अंसारी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 428 /पटना, दिनांक 17.2.2026

प्रतिलिपिः जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 17.2.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 428 /पटना, दिनांक : 17.2.2026

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। 17.2.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 428 /पटना, दिनांक : 17.2.2026

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.2.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 428 /पटना, दिनांक : 17.2.2026

प्रतिलिपिः प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17.2.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 428 /पटना, दिनांक : 17.2.2026

प्रतिलिपिः MIS कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। श्री वेद प्रकाश, आई. टी. प्रोफेशनल, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को निदेश है कि इस कार्यक्रम के अनुसार वेबसाईट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

17.2.26

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 428 /पटना, दिनांक : 17.2.2026

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.2.26

संयुक्त सचिव

अनुलग्नक– 01 के क्रम में

निर्वाचन देय सहयोग विकास एवं ईख क्रय–विक्रय संघ लि0 की सूची

क्र0	जिला	प्रखंड	सहयोग विकास एवं ईख क्रय–विक्रय संघ	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
02	सारण	एकमा	चैनवा सहयोग विकास एवं ईख क्रय–विक्रय संघ समिति, चैनवा	

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना–800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ % 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bihar.gov.in , Email-bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि॰प्रा॰/04–01–02/2025 367 /पटना, दिनांक 11.2.2026

प्रेषक,

कयूम अंसारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰),
सारण ।
उप विकास आयुक्त –सह– नोडल पदाधिकारी (स॰स॰),
सारण ।
प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰),
मकेर, सारण ।

विषय : **सहयोग विकास एवं ईख क्रय–विक्रय संघ लि0 की प्रबंधकारिणी कमिटी के निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।**

महाशय,

बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा–14 (क) (यथासंशोधित) एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत निबंधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने–अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) एवं अधिसूचना संख्या 6477 दिनांक 12.05.2012 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) पदनामित किया गया है। सामान्यतया प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे लेकिन आवश्यक समझे जाने पर जिला पदाधिकारी आदेश द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिकारी को सौंप सकेंगे।

3. **सम्प्रति, प्राधिकार संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्वाचन प्रस्ताव के आलोक में अनुलग्नक–01 में अंकित सोनहो सी0डी0सी0एम0 यूनियन लिमिटेड, प्रखंड–मनेर, जिला–सारण के प्रबंध समिति का निर्वाचन कराना चाहता है।**

4. सहयोग विकास एवं ईख क्रय–विक्रय संघ की उपविधि की कंडिका– 5 एवं 8 में उन योग्यताओं एवं अयोग्यताओं का उल्लेख है, जिनके आधार पर कोई समिति संघ का सदस्य बन सकती है या अयोग्य घोषित की जा सकती है।

5. मतदाता सूची की तैयारी एवं उसके बाद निर्वाचन के उद्देश्य से प्राधिकार ने **31.01.2026 को कट–ऑफ तिथि** के रूप में निर्धारित किया है। केवल वैसी समितियाँ, जो **31.01.2026** तक संघ के सदस्य बन चुके हैं, के नाम ही अन्य शर्तों के अधीन मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :–

(i) संबंधित सहयोग विकास एवं ईख क्रय–विक्रय संघ के सचिव/ प्रशासक (अधिक्रमित समितियों के मामले में) संलग्न **प्रपत्र एम–1** में तीन प्रतियों में मतदाता सूची तैयार कर अपने जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को संबंधित सचिव/ प्रशासक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। मतदाता सूची तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि सदस्य को अगर

227

कोई अयोग्यता हो तो उसका उल्लेख प्रपत्र एम–1 के स्तंभ–5 में निश्चित रूप से कर दिया जाय। संघ के स्तर पर तैयार की गई यह प्राथमिक मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को **दिनांक 18.02.2026** तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी। अगर कोई समिति उक्त तिथि तक मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित करने में विफल रहती है, तो यह जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व होगा कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संघ की मतदाता सूची अपनी देख–रेख में तैयार करायें।

(ii) सचिव/ प्रशासक द्वारा समर्पित मतदाता सूची की प्रमाणिकता की जांच जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा जांचोपरान्त एवं संशोधनोपरांत (अगर कोई हो) मतदाता सूची **दिनांक 20.02.2026** तक संबंधित संघ के निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को सत्यापित किया जायेगा। यह सुनिश्चित करना जिला सहकारिता पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि मतदाता सूची में दी गई सूचनायें सही है।

(iii) जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित/ हस्ताक्षरित मतदाता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी इस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना **प्रपत्र एम–2** में निर्गत की जायेगी।

6. **अनुलग्नक–1 में अंकित सहयोग विकास एवं ईख क्रय–विक्रय संघ लि०** की मतदाता सूची की तैयारी हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है :–

क्र0	कार्यक्रम	तिथि
1	सहयोग विकास एवं ईख क्रय–विक्रय संघ के सचिव/ प्रशासक द्वारा प्रपत्र एम–1 में सदस्यता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	18.02.2026
2	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	20.02.2026
3	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थलों पर प्रकाशन	23.02.2026
4	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित हो	23.02.2026
5	दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	23.02.2026 से 10.03.2026 तक
6	दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	12.03.2026

7. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्नांकित स्थलों पर किया जायेगा :–

(क) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ख) सहयोग विकास एवं ईख क्रय–विक्रय संघ के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ग) जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

(घ) प्राधिकार के वेबसाईट पर (इससे संबंधित निदेश संलग्न परिशिष्ट–1 में दिया गया है।)

(ङ.) समाचार के रूप में कवरेज हेतु इस कार्यक्रम की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों को भेजा जायेगा।

उपर्युक्त का साक्ष्य अभिलेख के रूप में संधारित किया जाएगा।

8. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं (समितियों) का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी समिति का नाम जोड़ने से संबंधित दावा **प्रपत्र एम–3 में तथा मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित किसी विशिष्टियों पर आपति प्रपत्र एम–4** में विहित समय सीमा के अंदर ही लिया जा सकेगा। आपत्ति उन्हीं समितियों द्वारा दी जायेगी, जो सहयोग विकास एवं ईख क्रय–विक्रय संघ के सदस्य हैं। बाहर के किसी व्यक्ति/ समिति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी।

9. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/ पति का नाम एवं पता अथवा किसी समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु स्वयं सक्षम होंगे।

10. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्रों में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर **आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति–पत्र पर ही मुखर आदेश पारित किया जाएगा।** तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। पिछले चुनाव की मतदाता सूची से यदि किसी मतदाता का नाम समिति ने हटा दिया हो, तो मांगे जाने पर समिति को साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि सहकारिता अधिनियम नियमावली के विहित प्रावधानों का पालन करते हुए ही नाम हटाया गया। निर्वाचन पदाधिकारी इस विषय पर सहकारिता पदाधिकारी से तकनीकी परामर्श ले सकते है। इसी तरह जिनका नाम विगत निर्वाचन की मतदाता सूची में नहीं था, परंतु नाम जोड़ने का दावा कर रहे हो, तो वैसे लोगों को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क प्रमाण–पत्र/ शेयर प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जायगी। साथ ही साथ, आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित समिति से भी प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जा सकती है।

11. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें **प्रपत्र एम–5** में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन–सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। **प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा।** मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप **प्रपत्र एम–6** पर देखा जा सकता है।

12. संबंधित सहयोग विकास एवं ईख क्रय–विक्रय संघ की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन हस्ताक्षर किया जाएगा जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है, एवं इसमें कोई छेड़–छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो; किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

13. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र एम–1** में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करें, एवं एक प्रति का उपयोग मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखें।

14. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची पाँच प्रतियों में से एक प्रति प्रखंड मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए; एक प्रति सहयोग विकास एवं ईख क्रय–विक्रय संघ के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए, एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में

सुरक्षित रखने के लिए तथा दो प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायेगी। **जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹ 2.00 प्रति पृष्ठ की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।**

15. जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को अपने स्तर से भी प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से अवगत करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित सहयोग विकास एवं ईख क्रय–विक्रय संघ के सचिव/ प्रशासक को उपर्युक्त निदेश की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

16. **दिनांक 12.03.2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने के उपरान्त निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में प्रपत्र–एम 7 पर दिये गये प्रपत्र में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और इस प्रतिवेदन की एक प्रति प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या अन्य पर्यवेक्षक के माध्यम से जिला सहकारिता पदाधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करा देंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रपत्र–एम 7 में ही निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदनों को उसी प्रपत्र में ई–मेल (bseapatna@gmail.com) या विशेष दूत द्वारा दिनांक 13.03.2026 तक निश्चित रूप से प्राधिकार को उपलब्ध करा देंगे।**

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन

11.2.26

(कयूम अंसारी)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 367 / पटना, दिनांक 11.2.2026

प्रतिलिपि– जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे कृपया अपने स्तर से भी उपर्युक्त निदेश की जानकारी संबंधित समिति को देंगे तथा संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्त्तव्यबद्ध (dutybound) हैं।

11.2.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 367 / पटना, दिनांक 11.2.2026

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, सारण को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.2.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 367 / पटना, दिनांक 11.2.2026

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.2.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 367 / पटना, दिनांक 11.2.2026

प्रतिलिपि– मुख्य चुनाव पदाधिकारी के प्रधान आप्त सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना/ संयुक्त सचिव/परामर्शी/अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/लेखा शाखा, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.2.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 367 / पटना, दिनांक 11.2.2026

प्रतिलिपि– प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

11.2.26

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 367 / पटना, दिनांक 11.2.2026

प्रतिलिपि– MIS कोषांग, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि इस कार्यक्रम के अनुसार वेबसाईट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

11.2.26

संयुक्त सचिव।

अनुलग्नक–01 | 274

निर्वाचन देय सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ की सूचीः–

क्र0	जिला	प्रखंड	सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	सारण	मकेर	सोनहो सी0डी0सी0एम0 यूनियन लिमिटेड	

Prep. of V. List__01_ CDCM_09.02.2026

प्रपत्र एम– 1
सदस्य सोसाईटी के संबंध में मतदाता सूची

जिला का नाम :........................... सहयोग विकास एवं ईख क्रय–विक्रय संघ का नाम :.........................

क्रमांक	सदस्य सोसाईटी का नाम एवं पता	डेलीगेट/ प्रतिनिधि	अयोग्यता, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

' स्तंभ–3 में 'समिति के अध्यक्ष' शब्द अंकित किया जाय।

(272)

मतदाता सूची के प्रकाशन कार्यक्रम के दौरान ऑनलाईन प्रविष्टि/ अपलोड से संबंधित निर्देश।

दिनांक 23.02.2026 को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी से **प्राप्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन अन्य विहित स्थानों के अलावे** प्राधिकार के वेबसाईट पर प्रारूप मतदाता सूची को स्कैन करके Pdf File में अपलोड कर किया जायेगा। इसके लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी-

i) प्राधिकार के वेबसाइट https://bsea.bihar.gov.in का लॉगिन पेज open करेंगे,

ii) ऊपर वर्णित "समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम" टैब पर क्लिक करेंगे,

iii) मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना (M-2) पर क्लिक करेंगे,

iv) टेबल में उपलब्ध विभिन्न पत्र संख्या के सामने "View" बटन पर क्लिक करेंगे,

v) **क्लिक करने के उपरांत नीचे खुले दूसरे टेबल में "प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं" की सूचना देते हुए प्रारूप मतदाता सूची के scanned pdf फाइल को अपलोड करेंगे,**

vi) scanned pdf फाइल अपलोड करने के उपरांत यह आश्वस्त हो लें कि सही फाइल को अपलोड किया गया है, तत्पश्चात् Entry करने वाले व्यक्ति का नाम तथा मोबाईल नम्बर देने के बाद Submit बटन पर क्लिक करेंगे।

प्रारूप मतदाता सूची स्कैन करने से संबंधी निर्देश :-

i) प्रारूप मतदाता सूची को ब्लैक एंड व्हाईट मोड में स्कैन करना है (Grey अथवा Colour में नहीं),

ii) Resolution 200 से 300 dpi में रखना है,

iii) Scanned फाइल को pdf फाइल के रूप में save करना है,

iv) pdf फाइल साईज 30 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए,

v) pdf फाइल साईज 30 MB से ज्यादा होने की स्थिति में compressed करने पर सूची अच्छे से पठनीय होना चाहिए, फाइल quality खराब नहीं होना चाहिए।

***कम्प्यूटर स्कैनर से स्कैन करने के लिए प्राथमिकता दिया जाय। स्कैनर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मोबाईल से स्कैन करते वक्त भी उक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाय।**

प्रारूप मतदाता सूची का pdf फाईल अपलोड हो जाने के बाद यह वेबसाइट के Home page पर उपलब्ध Public View **"समितियों से संबंधित प्रारूप मतदाता सूची देखने के लिए क्लिक करें"** पर क्लिक कर देखा जा सकता है।

2. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने प्रखंड में अवस्थित समितियों की मतदाता सूची का **प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना** प्राधिकार के वेबसाइट https://bsea.bihar.gov.in पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) **दिनांक 23.02.2026** को निम्नरूप से किया जायेगा :-

i) होमपेज में ऊपर **"समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम"** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम

(२३)

के सामने उल्लिखित **''प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं''** में ''हाँ'' अथवा ''नहीं'' का चयन कर सबमिट करेंगे।

3. निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पुन: प्राधिकार के वेबसाइट http://bsea.bihar.gov.in/ पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना **दिनांक 12.03.2026** को निम्नरूप से ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) करेंगे :-

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर **''समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम''** पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित **''अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं''** में हाँ अथवा नहीं का चयन कर एवं मतदाताओं की संख्या तथा प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानित दूरी टाईप कर सबमिट करेंगे।

4. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन/ अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं की स्थिति को ऑनलाईन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने यूजरनेम के माध्यम से प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर **''मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की सूचनाएं''** पर क्लिक कर देख सकेंगे।

.......o........